न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 371 / 2023

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
हीरो पत्नी निजामदीन, जाति मुसलमान निवासी ग्राम चैनपुरा, तहसील लोहावट, जिला फलौदी		**राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट**

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी लोहावट आदेश क्रमांक 159 दिनांक 20.3.23

उपस्थिति –

1. श्री पूनाराम विश्नोई वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 28.03.2024

प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य मुख्यतः इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी लोहावट के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 के द्वारा तहसीलदार लोहावट द्वारा प्रस्तावित राजस्व ग्राम चैनपुरा के उल्लेखित खसरान की भूमि में रास्ते में उपयोग हो रही उल्लेखित हैक्टर भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता परिवर्तित करने एवं नक्शा (लटठ्ा) ट्रेस में दुरस्ती एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर विद्यमान कदीमी रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी। दौरान सुनवाई वकील अपीलांट ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि अपीलांट मूल खसरा नं0 677 का रेकर्डेड सह खातेदार है। खसरा नं0 677 में जिस स्थान पर रास्ता काटा गया है, मौके पर उस स्थान पर कदिमी रास्ता विद्यमान नही है। इसके अलावा खसरा नं0 677 के बीचोबीच रास्ते की तरमीम कर दी गई, जिससे अपीलांट के खेत के दो टुकडे हो गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व केम्प कोर्ट लोहावट में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट एवं सहखातेदारों की सहमति नही ली गई तथा उन्हे नोटिस अथवा सुनवाई का

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अवसर नही दिया गया। अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड फरमाने का आग्रह किया गया।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए विधिसम्मतः निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त कार्यवाही तहसीलदार लोहावट के आवेदन व उसके संलग्न नजरी नक्शे के आधार पर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित खातेदारों को नोटिस एवं सुनवााई का अवसर नही दिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 को अपीलांट के सहखातेदारी ख0नं0 677 की रकबा भूमि तक निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट एवं सभी संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में मौका निरीक्षण एवं मौका फर्द तैयार करवाकर, यदि मौके पर रास्ता चालू है तो उसे बंद किये बिना, उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 28 मार्च, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

28/03/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर